रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936
No. 278] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015/MAGHA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

का.आ. 365(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के जुनागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी के 12.900 कि.मी. से 106.815 कि.मी. तक के भूखण्ड (जुनागढ़–सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् खास जमीन संपादन अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जुनागढ़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसुची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8–डी के 12.900 कि.मी. से 106.815 कि.मी. तक (जुनागढ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमी का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	जुनागढ	1 जुनागढ	वडाल	591/3	निजी	खेती	0.2493
				590	निजी	खेती	0.0494
				183/p1	निजी	खेती	0.0765
				725	निजी	खेती	0.0477
				9	निजी	खेती	0.1077
				City Survey No. 592	निजी	बिनखेती	0.0006
				City Survey No. 47	निजी	बिनखेती	0.0009
				594/2	निजी	बिनखेती	0.0264
				592/1/p1/P1	निजी	खेती	0.0692
				592/1/p1/P2	निजी	खेती	0.0030
				727	निजी	खेती	0.2730
						कुल	**0.9037**

[फा. सं. 11011/भाराराप्रा/गुजरात/राजकोट/एलए/1611]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTI ICATION

New Delhi, the 5th February, 2015

S.O. 365(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening/four laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No.8D on the stretch of land from km 12.900 to km 106.815 (Junagadh section) in district Junagadh in the state of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer, Collector office, Junagadh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 12.900 to Km. 106.815 (Junagadh - section) of the National Highway No.8D in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the Taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Junagadh	1. Junagadh	Vadal	591/3	Private	Agri.	0.2493
				590	Private	Agri.	0.0494
				183/p1	Private	Agri.	0.0765
				725	Private	Agri.	0.0477
				9	Private	Agri.	0.1077
				City Survey No. 592	Private	Non Agri.	0.0006
				City Survey No. 47	Private	Non Agri.	0.0009
				594/2	Private	Non Agri.	0.0264
				592/1P1/P1	Private	Agri.	0.0692
				592/1/P1/P2	Private	Agri.	0.0030
				727	Private	Agri.	0.2730
						Total (Hactares)	**0.9037**

[F. No. 11011/NHAI/Gujarat/Rajkot/LA/1611]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.